सं0—707 / 69.1.2000—21(सा) / 99

प्रेषक,

श्री एस0आर0लाखा,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, लखनऊः दिनाँकः 19 फरवरी, 2000

विषय :— विभाग द्वारा संचालित योजनान्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम (एन0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत गेर सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सम्यक रूप से विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं से निर्माण कार्य कराये जाने पर तात्कालिक प्रभाव से रोक लगायी जाती है। यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानकों / दरों के अनूरूप विभागीय पद्धति के अनुसार कार्य मस्टर रोल के आधार पर ही कराया जाये तथा मस्टर रोल के रख—रखाव हेतु विभागीय दिशा—निर्देश अलग से जारी किये जा रहे हैं।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से शासन / सूडा को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(एस0आर0लाखा)
सचिव

सं0—707 (1) / 69.1.2000—21(सा) / 99 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) निदेशक, राज्य नगर विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) समस्त परियोजना निदेशक / परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
(4) गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से

(मुनीन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव